छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन अटलनगर, नवा रायपुर

क्रमांक 4–66/सात–1/2020 अटलनगर, नवा रायपुर दिनांक 16/10/2020

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ।

विषयः– **सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन बावत।**

छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक–1 की कण्डिका 26 (1) व (2) के तहत जारी ज्ञापन क्रमांक एफ 6–173/96/ सात–1/ सा/ 2बी/नजूल दिनांक 31/5/1996 तथा ज्ञापन क्रमांक एफ 4–57/सात–1/2006 दिनांक 8/11/2005 में विभिन्न पंजीकृत जातिगत, सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटन के प्रचलित प्रावधानों में राज्य शासन द्वारा, विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज की पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य की 10% प्रब्याजि पर भूमि आबंटित की जाए।

(2) अन्य समाजों की पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को बाजार मूल्य के 15% प्रब्याजि पर भूमि आबंटित की जाए।

(3) विभिन्न वर्गो की पंजीकृत समाजिक संस्थाओं से वर्तमान सामान्य भू–भाटक 0.30% का 50% वार्षिक भू–भाटक लिया जाए।

(4) प्रत्येक समाज की पंजीकृत संस्थाओं को अधिकतम 7500 वर्गफुट तक रियायती दर पर कलेक्टर के स्तर पर भूमि आबंटित की जाएगी ।

(5) सामान्यतः एक समाज को एक स्थान पर एक ही बार रियायती दर पर भूमि आबंटित की जाएगी ।

..............02

2/ यह संशोधन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार कमांक–1 की कण्डिका 26 भाग के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।

3/ उक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शत्रुहन यादव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0कमांक 4–66/सात–1/2020 अटलनगर, नवा रायपुर दिनांक 16/10/2020

प्रतिलिपिः–

1/ अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन,अटल नगर, नवा रायपुर ।

2/ विशेष सहायक माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।

3/ मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवारायपुर की ओर मंत्रिपरिषद आदेश (आयटम कमांक 31.16) दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

4/ राजस्व विभाग की बेवसाईट में अपलोड किए जाने हेतु ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग